

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रतिभकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 380] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 8, 1984/श्रावण 17, 1986
No. 380] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 8, 1984/SRAVANA 17, 1986

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय
(कार्यक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1984

का.आ. 585(अ).—केन्द्रीय सरकार, बंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री बिपिन विहारी लाल और श्री गुरदयाल सिंह अधिवक्ता, दिल्ली को श्री के. एल. अरोड़ा और अन्य के विरुद्ध दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन नियमित मामला सं. आर. सी. 2/81-एम.आई.यू. (1)/एम.टी.सी के अभियोजन और उससे उत्पन्न होने वाली अन्य कार्यवाहियों का संचालन करने के प्रयोजनार्थ, दिल्ली और

नई दिल्ली में विचारण, अपील और पुनरीक्षण न्यायालय में विशेष लोक अभि-
योजक नियुक्त करती है ।

[सं. 225/6/84-ए.पी.डी. 2]

एच. के. वर्मा, जवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 1984

S.O. 585(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri ~~Dipin~~ Behari Lal and Shri Gurdayal Singh, Advocates, Delhi, as Special Public Prosecutors for the purpose of conducting the prosecution and also any other proceedings arising out of the Delhi ~~Special~~ Police Establishment Regular Case R.C 2/81-SIU(1) SIC against Shri K. L. Arora and others in trial, appellate and revisional Courts in Delhi and New Delhi.

[No. 225/6/84-AVD.II]

H. K. VERMA, Under Secy.